



## पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

( U.P.Government Undertaking )

ऊर्जाभवन विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001

संख्या : 9516/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा

दिनांक : 23.12.2023

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित अधिशासी अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-०4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

| क्र० सं० | एसएपी आईडी/नाम / अभि०सं० / गृह जनपद / से०नि० की तिथि     | वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय  | स्थानांतरण के पश्चात नव तैनाती कार्यालय / स्थान  |
|----------|--|---|--|
| 1        | 2  | 3   | 4  |
| 1.       | 11002223/ANUPAM AGARWAL/A1290/2015294/ MEERUT/31.05.2050 | EE-E&M/DS<br>PVVNL Head Office/<br>PVVNL_HO/HR  | EE-E&M/DS<br>Meerut Zone/Meerut Zone/<br>MEERUT ZONE   |
|          |  | अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।<br>(अध्यक्ष, उ०प्र० पाकालि, लखनऊ के ज्ञाप सं० 65-अ०प्र० (2ब)/पा०का०लि० /2023-प्रोन्नति (02ब)/2023-24 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पर पविनिनि०, मेरठ को आवंटित) | अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र-प्रथम, मेरठ। श्री अनुपम अग्रवाल (अभि० सं०: 2015294) अधिशासी अभियन्ता अपने नव तैनाती कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय एवं भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे। |

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

प्रबंध निदेशक

दिनांक : 23.12.2023

संख्या : 9516/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

4. निदेशक (का० एवं प्रब०)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र-प्रथम/द्वितीय, मेरठ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/(नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०)/(स्टाफ आफिसर), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(आई०टी०), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
12. उपसचिव अ०प्र०-(2ब)/गोपन अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
14. संबंधित अधिकारी।
15. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
16. व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से

जमील अहमद खान

अधीक्षण अभियन्ता (एच०आर०)

**"Joining / Relieving must be done on ERP system only."**